जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 17.03.2023

थाना कोतावली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना प्रांगण में खड़े लावारिस एवं सीज शुदा 57 वाहनों को नीलाम कराये जाने के संबंध मेः-

माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना कोतवाली शामली जनपद शामली से सम्बन्धित वर्ष 2016 से 2021 तक लावारिस/सीज शुदा कुल 57 दो पहिया वाहनों को नीलाम कराये जाने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी शामली एवं पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा एक संयुक्त टीम गठित की गयी , जिसमें श्री मती निकिता शर्मा उपजिलाधिकारी शामली, श्री बिजेन्द्र सिंह भड़ाना क्षेत्राधिकारी नगर, श्री रोहित राजपूत सम्भागीय परिवहन अधिकारी शामली के अतिरिक्त श्री नेमचन्द सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शामली सम्मिलित थे। संयुक्त टीम की उपस्थिति में वर्ष 2016 से 2021 तक लावारिस/ सीज शुदा कुल 57 दो पहिया वाहनों को नीलाम कराये जाने हेतु आज दिनांक 17.03.2023 को थाना प्रांगण में बोली दाताओं के साथ मूल्याकन कर नीलामी कराई गई। नीलाम हुए दो पहिया वाहनों से कुल तीन लाख सात हजार रूपये (3,07,000) की धनराशि प्राप्त हुई।

<u>**थाना थानाभवन**</u>

<u>**थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-**</u>

आज दिनांक 17.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 04.03.2023 को थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना होने के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना थानाभवन पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

<u>**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-**</u>

1.गौरव उर्फ गोलू पुत्र बिजेपाल निवासी ग्राम बन्तीखेड़ा थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>**आपराधिक इतिहासः-**</u>

1.मु0अ0सं0 94/2023 धारा 363, 366, 376, 504 भादवि व 3/4 पोक्सो अधि0 थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**</u>

1.प्र0नि0 श्री दिलीप कुमार शर्मा थाना थानाभवन जनपद शामली।
2.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
3.उ0नि0 राजेन्द्र सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।
4.का0 कपिल कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत महिलाओं को सरकारी योजनाओं का प्रलोभन देकर उनके खाते धोखाधडी कर रुपये निकालने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से धोखाधड़ी में प्रयुक्त मोबाइल फोन, फिंगर डिवाईस मशीन तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामदः-

दिनांक 16.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी व अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर महिलाओं से धोखाधड़ी करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है , जिसके कब्जे से धोखाधड़ी में प्रयुक्त फिंगर डिवाईस मशीन, मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 07.09.2022 को वादिया श्रीमती मीना पत्नी भोपाल निवासी ग्राम पिण्डौरा जनपद शामली के बैंक खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रलोभन देकर फिंगर डिवाईस मशीन का प्रयोग कर धोखाधड़ी से 10000/- रुपये निकालने के संबंध में थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त मामले में विवेचक द्वारा विवेचनात्मक जांच में अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य पाये गये थे तथा दिनांक 07.09.2022 को ही अभियुक्त द्वारा ग्राम पिण्डौरा में अन्य महिलाओं को प्रलोभन देकर फिंगर डिवाईस मशीन से पैसे निकाले थे। जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना झिंझाना पुलिस निरन्तर प्रयासरत थी।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा मोबाइल नम्बर 7895620042 है, यह सिम जीओ कम्पनी की है , मैंने रीयल पे ऐप (RNFI) अपने मोबाइल में 1000/- रुपये की फीस अदा करके अपलोड करा रखा है मेरे रीयल पे ऐप का आई0डी0 नम्बर R00155112 हैं, फिंगर डिवाईस मशीन मौजूद है। मैं घूम फिर कर ऐसी जगह तलाश करता हूँ जहां केवल महिलाऐं बैठी हो कम पढी लिखी हो और उन महिलाओं को सरकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराकर उनके खाते में पैसे डलवाने का लालच देकर उनके आधार कार्ड का नम्बर व बैंक का अकाउण्ट नम्बर व बैंक के अकाउण्ट से कनैक्ट मोबाइल नम्बर की जानकारी कर लेता हूँ और इस फिंगर डिवाईस मशीन को डाटा केबिल के माध्यम से अपने मोबाइल से कनैक्ट करके बातों में उलझाकर चालाकी से उनके अंगुठे के निशान इस फिंगर डिवाईस मशीन में ले लेता हूँ जो स्वतः ही मोबाइल में लोड रीयल ऐप में पहुँच जाते है। रीयल पे ऐप में आधार कार्ड नम्बर डालकर पहले अकाउण्ट बैलेन्स चैक कर लेता हूँ और उनके खाते से अपने रीयल पे ऐप के बैलेट में ट्रान्सफर कर लेता हूँ इस प्रकार एक बार में 10 हजार से अधिक रुपये एक दिन में नही निकाले जा सकते है। मैने दिनांक 07.09.2022 को ग्राम पिण्डौरा में इसी तलाश में घूम रहा था तो उन तीनों महिलाऐं को मैंने सरकारी योजनाओं का लालच देकर रजिस्ट्रेशन कराकर इनके खाते में रुपये भिजवाने का लालच देकर मैंने इन तीनों के ही खातों से इसी प्रकार अपने रीयल ऐप के बोलेट में पैसे ट्रान्सफर कर लिए थे तथा सां य को अपने इस ऐप के बोलेट से अपने यू0को0 बैंक के अकाउण्ट नम्बर 08393211019275 में 20738 रुपये ट्रान्सफर कर लिए थे । बाद में अपने इस खाते से छोटे मोटे रुपये खर्च करने के बाद दिनांक 08.09.2022 को मैंने 25000/- रुपये अपने यू0को0 बैंक के अकाउण्ट से मुथूट फाईनेन्स में ट्रान्सफर कर दिये थे। आज भी मैं इस प्रकार की धोखाधडी करने की घटना करने के लिए आया था उसी दौरान पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अनिल कुमार पुत्र ऋषिपाल निवासी रविदास मन्दिर मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मु0अ0सं0 511/2022 धारा 420 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.धोखाधड़ी में प्रयुक्त मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी

2.धोखाधड़ी में प्रयुक्त फिंगर डिवाईस मशीन, डाटा केबिल व एडिसनल केबिल।

3.घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटर साईकिल नम्बर UP-11BS-6899 रंग काला।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 समयपाल अत्री चौकी प्रभारी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 अरुण कुमार चौकी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 सचिन कुमार चौकी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.है0का0 जगमोहन सिंह चौकी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>**थाना कैराना**</u>

थाना कैराना पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने के मामले में वांछित 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 17.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट प र्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने के मामले में वांछित 02 शातिर अभियक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 28.04.2021 व 07.06.2021 को प्रार्थी विजय कुमार गुप्ता पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी एमएमआईजी इद्रापुरम शमशादबाद रोड़ थाना सदर बाजार जनपद आगरा प्राइवेट ठेकेदार (कॉन्ट्रेक्टर) है। प्रार्थी से सोविन्द्र पुत्र जगदीश निवासी द्वारिकापुरा कालोनी भागपुर घौर्रा थाना एत्मातपुर जनपद आगरा, धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र रघुजीत प्रसाद शर्मा निवासी पावनधाम फेस-2 थाना ताजगंज शमशाबाद रोड़ जनपद आगरा, लक्ष्मण सिंह पुत्र सहपाल निवासी कन्हैया नगर पेमेश्वर गेट फिरोजाबाद ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से पैसे लेने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर नामजद 06 अभियुक्तों के विरुद्ध लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.सोविन्द सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी द्वारिकापुरी कालोनी थाना ऐत्मादपुर जनपद आगरा।

2.धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रघुजीत प्रशाद निवासी 36 पावन धाम फेस-2 शमशाबाद रोड थाना ताजगंज जनपद आगरा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 राधेश्याम भारती थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 रजनीश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 धीरज कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

4.का0 नीरज कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 12 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामदः-

आज दिनांक 17.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर 01 अभियुक्त को अवैध 12 बोतल रॉयल स्टैग अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.गौरव पुत्र विनोद निवासी ग्राम हिंगोखेडी थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 12 बोतल रॉयल स्टैग अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 राकेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 अनुज कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 विनय कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा चोरी के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 17.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी तथा घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा सूचना पर चोरी की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.समीर पुत्र नसीर निवासी मौहल्ला रेतेवाला थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभि0 उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 174/220 धारा 380/411/457/34 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 01/21 धारा 414 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

3.मु0अ0स0 02/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बाबरी जनपद शामली।

4.मु0अ0स0 465/2022 धारा 380/457/411 भादवि

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 संजीव कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्ध शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में लूट करने के मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई कारावास सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गयाः-

वर्ष 2011 को 02 अभियुक्तगण 1.इमरान उर्फ इकराम पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम भैंसानी थाना थानाभवन जनपद शामली 2.बाबू पुत्र ऋषिपाल निवासी मौहल्ला आलखुर्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध मु 0अ0सं0 153/2011 धारा 392, 411 भादवि में थाना कांधला पर लूट करने के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगण के कब्जे से लूट का माल बरामद किया गया था । अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्तों को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 17.03.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा इमरान उर्फ इकराम व बाबू उपरोक्त को धारा 392 भादवि (लूट करना) में 07-07 वर्ष का कारावास तथा धारा 411 भादवि (चोरी/लूट का माल बरामद) में 03-03 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.इमरान उर्फ इकराम पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम भैंसानी थाना थानाभवन जनपद शामली

2.बाबू पुत्र ऋषिपाल निवासी मौहल्ला आलखुर्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली